साथिन सुरक्षा बीमा योजना

बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु सं.– 71 के अनुसार साथिन के सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना के लिए रु. 300/– वार्षिक प्रीमियम प्रति साथिन राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जा रहा है। योजना का विवरण निम्नानुसार है–

वर्तमान में साथिनों को जारी बीमा पॉलिसी अनुसार पॉलिसी के दो पार्ट है–

1. NGSCA (New Group Superannuation Cash Accumulation) बीमा योजना –
   इस योजना में कुल बीमा राशि रु. 300/– में से 260/– प्रति सदस्य जमा किया जाता है, जो कि Saving Part है। जिसके अन्तर्गत साथिन की सेवा अवधि पूर्ण होने पर जमा राशि एवं उस पर ब्याज साथिन को देय है।

   नोटः–भारतीय जीवन बीमा निगम ने पत्र दिनांक 20.11.2020 से अवगत करवाया गया है कि IRDA द्वारा पुरानी NGSCA बीमा योजना दिनांक 01.02.2020 से समाप्त कर दी गई है एवं नवीन साथिन सदस्यों के लिए यह स्कीम बन्द कर दी गई है। दिनांक 01.02.2020 से पूर्व बीमित साथिनों के लिए यह योजना यथावत रहेगी जिनके बीमा नवीनीकरण हेतु निर्धारित राशि रु. 300/– प्रति साथिन प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत देय है जिसमें साथिनों का अंशदान नही होता है।

   भारतीय जीवन बीमा निगम से उक्त पत्रानुसार नवीन NGSCA बीमा योजना निम्नलिखित प्रमुख बदलावों के साथ उपलब्ध है–

   1. निधि पर ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वार्षिक आधार पर घोषित किया जाएगा जो न्यूनतम 0.5% प्रति वर्ष होगा।
   2. न्यूनतम ब्याज दर 0.5% प्रति वर्ष अनुबन्ध की पूर्ण अवधि के दौरान गारण्टी रहेगी।
   3. नवीन योजना में निधि प्रबन्धन शुल्क लागू नही है।
   4. योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रति सदस्य प्रति वर्ष न्यूनतम शुल्क 1200/– रहेगा।

2. G.I.N.P(Group Insurance)बीमा योजना–
   इस योजना में कुल बीमा राशि रु. 300/– में से 40/– प्रति सदस्य जमा किया जाता है, जो कि Group Insurance Part है। जिसके अन्तर्गत साथिन के मृत्यु होने पर अधिकतम राशि 10000/– रुपये तक साथिन को देय है।

लाभ–

- साथिन की मृत्यु होने पर बीमा राशि रुपये 10000 जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा।
- साथिन के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जमा राशि मय ब्याज भुगतान किया जायेगा।

दावा विधि–

- मृत्यु अथवा 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर एल.आई.सी. क्लेम फार्म संबंधित/आश्रित द्वारा आधार कार्ड की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधित दस्तावेज, उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला कार्यालय में जमा करायेंगें।

- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जिला कार्यालय के द्वारा क्लेम फार्म को प्रमाणित कर मय सील व हस्ताक्षर के एल.आई.सी. के पी. एण्ड जी.एस. शाखा, जयपुर में जमा करायेंगें। जिससे क्लेम राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे ही जमा की जा सकेगी।